राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(21)ग्रावि/अनु.–5/जिला/जीकेएन/2014–15 जयपुर, दिनांक 08 जुलाई, 2014

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   राजस्थान।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
   राजस्थान।

विषयः– अन्य विभागों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थान को 5 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज देने के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र एफ 27(30)ग्राविवि/जीकेएन/गाईड लाईन/2013–14 जयपुर दिनांक 26 अप्रेल, 2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अन्य विभागों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोरेटा चार्ज की देयता सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु कतिपय जिला परिषदों द्वारा अन्य विभागों के स्वीकृत निर्माण कार्यों पर सम्बन्धित कार्यकारी संस्था द्वारा प्रोरेटा चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2013 को आयोजित बैठक (कार्यवाही विवरण प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न है) में लिये गये निर्णय अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग आदि द्वारा उनके बजट से करवाये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु पंचायती राज संस्थाओं को वर्तमान में 5 प्रतिशत प्रोरेटा चार्ज देय है। प्रोरेटा चार्ज के विभक्तिकरण हेतु (4 प्रतिशत राशि सम्बन्धित कार्यकारी ऐजेन्सी पीआईए एवं आधा–आधा प्रतिशत राशि सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा उपयोग में लिया जाना) प्रावधान ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 पैरा 3.2.2 नोट क्र.सं. 3 में उल्लेखित है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

05/07/14

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/पंरावि, राजस्थान, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)